

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

MODIFY TYPE OF LOCALBODY

Published By

Name Lekhraj Jagrat
Designation Senior Joint Legal Remembrancer
Mobile no. 9829361117
IP Address 164.100.145.17
On date 28/06/2024

Proposed By

Name MONIKA RAJ
Designation INFORMATICS ASSISTANT
Mobile no. 9509429221
IP Address 164.100.222.44
On date 29/01/2024

Local body Name (In English) {local-body-name-english}
Local body Type Name (Old) {local-body-type-name-old}
Local body Type Name (New) {local-body-type-name-new}
Effective Date Fri May 12 00:00:00 IST 2023

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत फागी (जिला जयपुर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जयपुर	फागी	ग्राम पंचायत फागी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत परवण का गाँव कवंरपुरा, मदनपुरा, व ग्राम पंचायत मांदी के गाँव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेल्वे को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या - 14,781) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फागी के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत परवण का गाँव कवंरपुरा, मदनपुरा, व ग्राम पंचायत मांदी के गाँव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेल्वे को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या - 14,781) सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फागी के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत मांदी के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं शेष सभी निर्वाचित वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव